न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या

39/2020

राजेन्द्र सिंह तोमर एडवोकेट आई 26/1 गली नं. 10 ब्रह्मपुरी दिल्ली पिन–110053

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 12–11–2020**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

1 श्रीमान को दिनांक 30.07.2020 को आपसे स्वयं मिलकर एक लिखित शिकायत जिला जेल टोंक में बंदियों के किये जा रहे उत्पीडन के संदर्भ में की थी जिस पर आपने अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद टोंक को जांच के लिए नियुक्त किया था मुझे अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद टोंक द्वारा दिनांक 10.08.2020 को टोंक जेल में जाकर दर्ज किये गए सभी के बयानों की सत्यप्रतियॉ व जॉच रिपोर्ट की भी सत्यप्रति दे।

2 उपरोक्त विषय पर अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद टोंक द्वारा जिला जेल टोंक के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के दर्ज किये गए सभी के बयानो की सत्यप्रतियॉ।

3 जिला कलेक्टर टोंक से मेरी उपरोक्त दिनांक 30.07.2020 को दी गई शिकायत अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद टोंक को किस दिनांक को जांच के लिए भेजी गई थी और किस तारीख को उन्हें प्राप्त हुई है डाक रिपोर्ट–अनुसार सूचना दें।

4 मेरी उपरोक्त शिकायत दिनांक 30.07.2020 पर जिला कलेक्टर ने जेल अधीक्षक टोंक से भी, जांच रिपोर्ट अलग से तलब की थी उस जेल अधीक्षक की जांच रिपोर्ट व जेल अधीक्षक द्वारा इस बाबत दर्ज सभी बयानो की सत्यप्रतियॉ दे।

5 मेरे द्वारा मेरी ई–मेल hindustanshivsenar@gmail.com से जिला कलेक्टर टोंक की ई–मेल आईडी dm-tonk-rj@nic.in पर समय करीब 4.30 पीएम पर दिनांक 10.08.2020 को एक लिखित शिकायत मेल की। मेरी इस शिकायत पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:39:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जिला कलेक्टर व अन्य संबंधित अधिकारियों ने क्या–क्या कायवाहियॉ की, रिकॉर्ड अनुसार सूचनाए दे।

6 भारत सरकार व राज0 राज्य सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा स्पष्ट आदेश है और नियमानुसार भी यह जरूरी है कि आपके टोंक जिले के किसी भी विभाग, कार्यालय, अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक, कार्यालयों, पुलिस थानों आदि में किसी भी शिकायतकर्ता द्वारा लिखित शिकायत या लेटर देने पर उसे उस शिकायत/लेटर की एक प्रति उस संबंधित कार्यालय/ अधिकारी/ पुलिसथाने/ विभाग के डाक/ शिकायत प्राप्तकर्ता द्वारा उस विभाग, कार्यालय, अधिकारी, थाने की डाक प्राप्ति की मोहर लगाकर रिसिविंग नियम अनुसार दी जाती है या नहीं। रिकॉर्ड अनुसार सूचना दे।

7 जिला कलेक्टर टोंक या उनके कार्यालय द्वारा जिले के सभी संबंधित विभागो, कार्यालयों अधिकारियों तथा जिला पुलिस अधीक्षक, अति0 पुलिस अधीक्षक उप अधीक्षको व सभी पुलिस थनों को इस बाबत् निर्देश दिया गया है कि शिकायकर्ता लेटर, शिकायत, डाक दे तो उसे उस शिकायत लेटर या डाक की एक प्रति संबंधित कर्मचारी संबंधित विभाग व कार्यालय की मोहर लगाकर रिसिविंग दे, उस आदेश की प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 760 दिनांक 6–11–2020 से जवाब प्रेषित किया जिसके अवलोक से ज्ञात होता है कि आवेदक को सम्बन्धित शाखा/कार्यालयों से सूचना भिजवादी गई है। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को निर्देश दिये जाते हैं कि वह बिन्दु सं0 एक से सम्बन्धित सूचना न्याय शाखा से प्राप्त कर अपीलान्ट को निशुल्क उपलब्ध करावें।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:39:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner